नर्मदा नियरे

सार-समाचार

एलआईसी की 3 नई बीमा योजनाएं कल से होंगी उपलब्ध



भोपाल, देशबन्धु। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय, परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा और कैंसर के इलाज के दौरान आर्थिक सहायता के लिए तीन नई बीमा योजनाएं शुरू की हैं। निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक आर. दुरैस्वामी ने इन योजनाओं का शुभारंभ किया। ये योजनाएं 19 अक्टूबर से खरीदी जा सकेंगी। 'नई जीवन धारा-द्वितीय' योजना में प्रतीक्षा अवधि पूरी होने के बाद जीवनभर नियमित आय पाने का विकल्प है। इसमें एकल या नियमित प्रीमियम तथा अकेले या संयुक्त जीवन के आधार पर वार्षिकी चुनी जा सकती है। 'हेल्थ शील्ड' योजना अस्पताल में भर्ती होने पर दैनिक नकद सहायता तथा प्रमुख शल्य चिकित्सा और गंभीर बीमारियों के लिए एकमुश्त राशि देती है। इसमें परिवार के पात्र सदस्यों को भी सुरक्षा मिल सकती है।

पैदल यात्रियों की सेवा बनी भक्ति



नर्मदापुरम, देशबन्धु। शारदीय नवरात्रि पर माँ बिजासन देवी धाम सलकनपुर के लिए पदयात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए गुजराती बाज खेडावाल ब्राह्मण समाज ने मानव सेवा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। समाज द्वारा होमगार्ड ऑफिस के पास तिराहे पर चिंता हरण हनुमान मंदिर के सामने फलाहारी खिचड़ी वितरण शिविर लगाया गया। नंगे पांव, जय माता दी के जयकारे लगाते हुए जा रहे सैकड़ों पैदल श्रद्धालुओं को रोक-रोक कर समाजजनों ने प्रेम से फलाहारी खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया। सेवा कार्य के दौरान राजकुमार तिवारी, सौरभ तिवारी, संदीप दुबे, पुष्पा जोशी, मोनिका दुबे सहित समाज के कई सदस्य सुबह से ही जुटे रहे।

समेरिटन्स प्री प्राइमरी में मनाया दशहरा उत्सव

नर्मदापुरम, देशबन्धु। समेरिटन्स विद्यालय के प्री प्राइमरी विभाग में शुक्रवार को दशहरा उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बच्चे रंग बिरंगे परिधानों में विद्यालय आये। बच्चों ने माता की आराधना में गरबा भी खेला और बड़ में रावण का दहन भी किया। प्राचार्य श्रीमती प्रेरणा रावत और प्रभारी श्रीमती स्वाति खम्परिया ने बच्चों को दशहरा उत्सव का महत्त्व बताया। कार्यक्रम में श्रीमती शिखा खम्परिया, अंशु गौर आदि उपस्थित रहीं।

अंगदान से 3 जिंदगियों को मिला नया जीवन, राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार

बनखेड़ी, देशबन्धु। सड़क हादसे में जिंदगी की जंग हार गईं बनखेड़ी तहसील के ग्राम खापाखुर्द निवासी 30 वर्षीय श्रीमती विलासा टाटी शर्मा भले ही इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन उनके अंगदान से तीन लोगों को नया जीवन मिला है। भोपाल एम्स में ब्रेन डेड घोषित किए जाने के बाद परिजनों ने असहनीय दुख के बीच अंगदान का निर्णय लेकर मानवता और परोपकार की ऐसी मिसाल पेश की, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनके लिवर और दोनों किडनियों का तीन अलग-अलग मरीजों में प्रत्यारोपण किया गया।

दिवंगत श्रीमती शर्मा का शुक्रवार को उनके गृह ग्राम खापाखुर्द में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया



गया। इस दौरान मध्य प्रदेश पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर दिवंगत को सम्मान अर्पित किया। एक ओर परिवार अपने प्रियजन को अंतिम विदाई दे रहा था, वहीं दूसरी ओर उनके अंगदान से तीन परिवारों को नई जिंदगी की उम्मीद मिलने की संवेदनशील कहानी हर किसी को भावुक कर रही थी। इस अवसर पर बनखेड़ी के डिप्टी कलेक्टर एवं जनपद पंचायत सीईओ नरेंद्र सिंह मेवाड़ा, नायब तहसीलदार मनोज नामदेव सहित पुलिस बल और सामाजिक लोग उपस्थित रहे।

दुख की घड़ी में मानवता की मिसाल -अपने प्रियजन को खोने के गहरे दुख के बीच अंगदान का निर्णय लेना परिजनों के लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके इस साहसिक कदम ने तीन जरूरतमंद मरीजों को जीवन की नई संभावना दी। अंगदान के माध्यम से दिवंगत श्रीमती शर्मा की स्मृतियां अब उन जिंदगियों से जुड़ गई हैं, जिन्हें उनके अंगों से नया सहारा मिला है। अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, परिजनों और ग्रामीणों सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

सलकनपुर जाते समय हुआ था हादसा

जानकारी के अनुसार, श्रीमती विलासा टाटी शर्मा मोटरसाइकिल से सलकनपुर स्थित देवी मंदिर जा रही थीं। इसी दौरान वह सड़क हादसे का शिकार हो गईं। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें उपचार के लिए भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया। इसके बाद परिजनों ने अंगदान का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री ने परिजनों के निर्णय को बताया परोपकार की मिसाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए अंगदान करने वाले परिवार के निर्णय की सराहना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि असहनीय दुख की घड़ी में भी परिजनों द्वारा अंगदान का निर्णय लेना परोपकार की मिसाल है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अंगदान केवल अंगों का दान नहीं, बल्कि किसी के बुझते हुए संसार में आशा का दीप जलाना है।

संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रियता और समर्पण के साथ काम करें : चंद्रशेखर

नर्मदापुरम, देशबन्धु। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने जिला पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की परिचयात्मक बैठक ली। बैठक के प्रारंभ में प्रस्तावना एवं स्वागत भाषण को भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला ने संबोधित करते हुए जिले की संगठनात्मक जानकारी एवं सेवा संकल्प अभियान की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।



बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा का संगठन कार्यकर्ताओं के परिश्रम, समर्पण और निरंतर सक्रियता से मजबूत हुआ है। कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रियता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। पार्टी का कार्य निरंतर समाज के बीच रहकर सेवा, संपर्क और संवाद के माध्यम से आगे बढ़ता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जहां पार्टी कमजोर है, वहां कार्यकर्ता अपनी सक्रियता बढ़ाएं और जहां संगठन मजबूत है, वहां उसे और मजबूत करने का प्रयास करें। उन्होंने बूथ स्तर तक नियमित संपर्क, कार्यकर्ताओं के बीच संवाद तथा संगठनात्मक गतिविधियों को निरंतर गति देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय, कार्यकर्ताओं की सक्रियता तथा जनता के साथ निरंतर संवाद आवश्यक है।

भाजपा जिला प्रभारी अलकेश आर्य ने कहा कि जिले का संगठन काफी मजबूत है। इस जिले से सांसद विधायक, नगर पालिका एवं जनपद तक सभी जनप्रतिनिधि पार्टी के है एवं प्रदेश में जिले के कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की जाती है। बैठक में प्रदेश मंत्री राजो मालवीय, प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन, जिला प्रभारी अलकेश आर्य, जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला, विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, विजयपाल सिंह, प्रेमशंकर वर्मा, ठाकुरदास नागवंशी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अखिलेश खण्डेलवाल, सविता दीवान शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष माधवदास अग्रवाल, संतोष पारीक, संपत मूंदड़ा, पूर्व विधायक हरिशंकर जायसवाल, ओमप्रकाश रघुवंशी, जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, ज्योति चौरे, कुंवरसिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष लोकेश तिवारी, अर्चना साहू, राजेश गौर, निखिलेश चतुर्वेदी, जिला मंत्री गोविंद राय, रीता सिंह, सम्राट तिवारी, प्रांशु राने, जिला कोषाध्यक्ष संदीप जैन, कार्यालय मंत्री प्रशांत दीक्षित, सह कार्यालय मंत्री वंदना दुबे, मंडल प्रभारी प्रसन्ना हर्णे, रघुवीर राजपूत, दिनेश तिवारी, चरणजीत सिंह, मीडिया प्रभारी अमित महाला, मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक महालहा, दिनेश चौधरी, राहुल प्रधान, आईटी संयोजक राहुल पटवा, प्रभारी गजेन्द्र चौहान, राहुल ठाकुर सहित भाजपा जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मोर्चा जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना एवं आभार जिला महामंत्री कुंवरसिंह यादव ने माना।

वार्ड 12 में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और बड़ा कदम

पार्क निर्माण से हरी-भरी होगी कॉलोनियां

नर्मदापुरम, देशबन्धु। नगर में कॉलोनियों के विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधि लगातार अनूठी पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में नर्मदापुरम के वार्ड क्रमांक 12 के रहवासियों को बड़ी सौगात मिली है, जहां पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो नए पार्कों का निर्माण किया जाएगा।



वार्ड पार्षद पूजा अर्पित मालवीय ने बताया कि विकास कार्य का भूमि पूजन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा और नगरपालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव के द्वारा संपन्न हुआ। वार्ड क्रमांक 12 की नंदबिहार कॉलोनी में 13 लाख 33 हजार और बैंक कॉलोनी में 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाले दो पार्कों का भूमि पूजन किया गया। विधायक प्रतिनिधि अर्पित मालवीय ने बताया कि इन दोनों पार्कों के निर्माण से वार्ड का पूरा लुक बदल जाएगा। यह पहल न केवल रहवासियों को टहलने और बैठने के लिए एक व्यवस्थित व सुंदर स्थान उपलब्ध कराएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। पार्क विकसित होने से स्थानीय स्तर पर हरियाली बढ़ेगी, जो क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन और शुद्ध हवा के लिए बेहद फायदेमंद होगी। इस अवसर पर उपयंत्री दीक्षा तिवारी, पार्षद पूजा अर्पित मालवीय, ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष गोकुल पटेल, विशाल बाबरिया, लोकेश विश्नोई, शिवम सहित अनेक स्थानीय रहवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पार्षद पूजा अर्पित मालवीय ने क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संवर्धन के लिए निरंतर सहयोग देने पर विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा और नपाध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया।

नर्मदापुरम की बेटी साध्वी का नया भजन रिलीज़

नर्मदापुरम, देशबन्धु। नर्मदापुरम में जन्मीं एवं वृंदावन में साधनारत प्रख्यात कथावाचिका एवं भजन गायिका साध्वी अम्बालिका ने नर्मदा मैया की स्तुति में अपना नया वीडियो भजन मोरी मैया नर्मदा हिलोर लेवें रिलीज़ किया है। यह भजन माँ नर्मदा की महिमा, उनकी अलौकिक कृपा और उनके प्रति भक्तों की अगाध श्रद्धा को समर्पित है। इस मनमोहक भजन में माँ नर्मदा की बढ़तीं लहरों और पावन धाराओं के साथ मैया के भावों का बहुत ही सजीव एवं संगीतमय वर्णन किया गया है। चूँकि साध्वीजी का जन्म और जुड़ाव नर्मदापुरम से है, इसलिए इस भजन में नर्मदा तटों की आध्यात्मिक ऊर्जा, स्थानीय संस्कृति और माँ रेवा के प्रति एक बेटी के प्रेम की झलक साफ महसूस की जा सकती है।

फसल अवशेष प्रबंधन के प्रशिक्षण में लागत घटाकर आय बढ़ाने पर जोर



बनखेड़ी, देशबन्धु। कृषि विज्ञान केंद्र, गोविंदनगर, नर्मदापुरम में फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉ. राजेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में किसानों को फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन, कृषि लागत कम करने और मृदा स्वास्थ्य सुधारने की तकनीकों की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता में कमी, लाभकारी सूक्ष्मजीवों को नुकसान और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं के बारे में बताया। वहीं सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर सहित आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को फसल अवशेषों से जैविक खाद बनाने, कम्पोस्ट निर्माण, मल्चिंग तथा अवशेषों को मिट्टी में मिलाकर जैविक कार्बन बढ़ाने की तकनीकों से भी अवगत कराया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि इन उपायों से मिट्टी में नमी संरक्षण, जलधारण क्षमता और उर्वरता में सुधार के साथ कृषि लागत कम करने में मदद मिल सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉ. संजीव कुमार गर्ग एवं डॉ. ब्रजेश कुमार नामदेव ने किसानों को नरवाई जलाने के बजाय वैज्ञानिक विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। नोडल अधिकारी डॉ. राजेन्द्र पटेल ने कहा कि फसल अवशेषों को समस्या के बजाय उपयोगी कृषि संसाधन के रूप में अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सकता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नपा की तैयारी जारी, सीएमओ ने ली स्वच्छतादूतों की बैठक



नर्मदापुरम, देशबन्धु। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी वैभव देशमुख की अध्यक्षता में सफाईकर्मियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वच्छ भारत अभियान प्रभारी अधिकारी अनुराग तिवारी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर सहित बड़ी संख्या में सफाईकर्मी उपस्थित थे।

स्वच्छ भारत अभियान प्रभारी अधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया कि आगामी त्यौहारी सीजन को लेकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी वैभव देशमुख द्वारा बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने निर्देशत दिए कि नवरात्रि से लेकर देवउठनी ग्यारस तक नगर में लगातार विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शहर के हर कोने की सघन सफाई की जाएगी। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी वार्ड में कचरे का ढेर न लगे। स्वच्छता अमला पूरी मुस्तैदी से कार्य करेगा। त्योहारों की भीड़भाड़ और साफ-सफाई की आवश्यकता को देखते हुए नगर में दोनों समय (सुबह और शाम) नियमित रूप से सफाई कार्य किया जाएगा। नागरिकों के घरों से कचरा संकलन के लिए कचरा गाड़ियां भी दोनों टाइम (सुबह और शाम) संचालित की जाएंगी, जिससे लोग कचरा गाड़ी में ही कचरा डाल सकें। सीएमओ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई कचरे में आग न लगाएं। कोई भी कचरे में आग लगाता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नपाध्यक्ष की अपील

नपाध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव ने नगर के नागरिकों, दुकानदारों और व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे नगर को साफ स्वच्छ रखने में नगरपालिका का सहयोग करें। कचरा यहां वहां न फैंकें। कचरा, कचरा वाहन में ही डालें। आपका यह सहयोग नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण नंबर 01 बनाएगा।

जिले की अंडर-22 बालक क्रिकेट टीम के चयन हेतु ट्रायल 19 को

नर्मदापुरम, देशबन्धु। जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में अंडर-22 बालक वर्ग की जिला क्रिकेट टीम के चयन हेतु ट्रायल का आयोजन 19 अक्टूबर को प्रात:9 बजे से एमपीसीए ग्राउंड में किया जाएगा।जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनोहर बिल्थरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चयन प्रक्रिया में जिले के अंतर्गत नर्मदापुरम, इटारसी, सिवनी मालवा, बाबई, सोहागपुर, पिपरिया एवं बनखेड़ी सहित जिले के सभी क्षेत्रों के इच्छुक खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिन खिलाड़ियों का जन्म 1 सितंबर 2004 को या उसके बाद हुआ है, वे ही अंडर-22 वर्ग के ट्रायल में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। ट्रायल में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को पंजीयन एवं आयु सत्यापन के लिए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड,विगत तीन वर्षों की अंकसूचियां साथ लाना अनिवार्य है। जिला क्रिकेट संघ ने जिले के सभी पात्र खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ एमपीसीए ग्राउंड पर उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, इटारसी

जिला - होशंगाबाद (नर्मदापुरम), मध्यप्रदेश - 461111
पता - Main Road Near Sindhi Colony, Behind Mritunjay Cinema दूरभाष :- 07572-235613
E-mail ID : cmoitarsi@mpurban.gov.in
क्रमांक / स्वा. शाखा/3003/2026 इटारसी दिनांक 16.10.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर पोर्टल क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_543581_1	नगर इटारसी के विभिन्न वार्डों में साफ-सफाई कार्य हेतु सींक झाड़ू (डण्डे वाली) प्रदाय कार्य। (शेष कार्य) (तृतीय आमत्रंण)	7,75,000/-	2,000/- एवं 7,750/-	22.10.2026 17.30
2	2026_UAD_543616_1	नगर इटारसी के विभिन्न वार्डों में साफ-सफाई कार्य हेतु फिनाईल तथा मलेरिया ऑयल क्रय कार्य। (शेष कार्य) (तृतीय आमत्रंण)	6,50,000/-	2,000/- एवं 6,500/-	22.10.2026 17.30

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ही किया जावेगा। पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद इटारसी

कार्यालय नगर पालिका परिषद् हरदा जिला हरदा (म.प्र.)

Email-cmoharda@mpurban.gov.in conn. 07577222238
https://nagarpalikaharda.org Toll free No 18002331353
क्रमांक 5434/ लोकनिर्माण / 2026 हरदा दिनांक 14/10/2026

(नियम 91 (1) (क) (11))
ई- नगर पालिका आमंत्रण सूचना का प्रारूप
मध्यप्रदेश शासन
नगर पालिका का नाम -नगर पालिका परिषद हरदा

एन.आई.टी संख्या 5028से 5031 / ई-टेंडरिंग

निम्नलिखित निर्माण / आपुर्ति / सेवाओं के लिए निविदा मापदंडो को पूरा करने वाले ठेकेदारों / कंसल्टेंट्स और प्राप्त फर्म्स से ऑनलाईन निविदा आंमत्रित है-

क्र. सं. / पैकेज	निर्माण कार्य / आपूर्तियों / सेवाऐं	जिला	संभावित राशि	समय अवधि
2026_UAD_543725_1	वार्ड क्र. 34 रामानंद नगर में छीपानेर रोड़ महेन्द्र मालवीय के मकान से भूपेन्द्र राजपूत के मकान तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।	हरदा	1662594/-	2 माह
2026_UAD_543729_1	वार्ड क्र. 34 रामानंद नगर में संजय करवास के मकान से अशोक उपरिया के मकान तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।		1232422/-	2 माह
2026_UAD_543742_1	वार्ड क्र. 34 में छिपानेर रोड से राठौर धर्मशाला तक सीमेंट कांक्रीट सडक निर्माण कार्य।		1082244/-	2 माह
2026_UAD_543747_1	वार्ड क्र. 34 रामानंद नगर में श्री बीलेश्वर मंदिर से बसंतराज दुबे के मकान तक सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य।		1232422/-	2 माह

01. इच्छुक निविदाकार वेबसाइट पर एनआईटी देख सकता है www.mptenders.gov.in
02. निविदा दस्तावेज सार्वजनिक अवकाश को छोडकर टेंण्डर क्रं. 1-2026_UAD_543725_1, 2-2026_UAD_543729_1 3-2026_UAD_543742_1, 4-2026_UAD_543747_1 दिनांकसेसमय 5.30 बजे तक
03. एनआईटी में संशोधन यदि कोई होता है तो केवल बेबसाइड पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्र में नहीं ।
04. किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया श्री एस. के. बोहरे उपयंत्री मोबाईल नं. 9926419797 पर संपर्क करें।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद हरदा

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन विभाग, मंडल कार्यालय: 1227, शालीन हाउस, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)- 482001
Email- cojbprec@pnb.co.in, Telephone: 0761-4924461

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई- नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/ प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/ सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जो है", "जहाँ है", "जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रूपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है :

ई-नीलामी दिनांक एवं समय- 26.11.2026 दोपहर 12:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकाल 05:00 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 26.11.2026 को दोपहर 12:00 बजे तक

निविदाकार अपने प्रस्ताव रू. 10000/- (रूपए दस हजार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे

उधारकर्ता/जमानतदार/ बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) ईएमडी जमा अंतिम दिनांक द) बिड वृद्धि राशि
1. शाखा: पीएनबी बैतूल 008100 (म.प्र.) **1. श्री चरणजीत परौथी पिता कालूराम परौथी (उधारकर्ता एवं गिरवीकर्ता)** **2. श्रीमति निधि परौथी पत्नि श्री चरणजीत परौथी (उधारकर्ता एवं गिरवीकर्ता)** दोनों का पता- 181 जी लोहिया वार्ड, माता मंदिर के पास, गंज बैतूल, तहसील एवं जिला- बैतूल, बैतूल मध्य प्रदेश, पिन- 460001 A/c No. 0081009900000188 008100NT00000036	सम्पत्ति का समस्त भू भाग अचल आवासीय सम्पत्ति एवं उस पर निर्मित एक फ्लैट नं. 302 सी तीसरी मंजिल पर स्थित है, ब्लॉक- सी (यशोदा हाइट्स) तहसील एवं जिला बैतूल म.प्र. कुल सुपर बिल्डअप एरिया 59.10 वर्गमीटर, बिल्डअप एरिया 506 वर्गफुट = 47.02 वर्गमीटर है। स्वामी एवं बंधककर्ता- श्री चरणजीत परौथी एवं श्रीमति निधि परौथी, स्थित हुमालपुर, अर्जुन वार्ड नं. 2 जी, गोकुलधाम (यशोदा हाइट्स), प.ह.नं. 53 नया 49, बी. जो 713, खसरा नं. 2/1, 2/2, 3 का भाग। जिसकी सीमा इस प्रकार है- उत्तरः फ्लैट नं. 301 सी, दक्षिणः खुला डक्ट (गोविंदा हाइट्स), पूर्व- फ्लैट नं. 304 सी, पश्चिमः गार्डन एवं नाला। नीलामी संदर्भ संख्या **PUNBQQB60673858**	**अ) 17.09.2025** **ब) 26.11.2025** **स) सांकेतिक** **द) 1745480.30/-** + ब्याज एवं अन्य व्यय	**अ) ₹ 18,60,000/-** **ब) ₹ 1,86,000/-** **स) 26.11.2026** **द) ₹ 10,000/-**

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्तें: (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। (2) संपत्तियों की बिक्री "जो है", "जहाँ है", "जो कुछ भी है" के आधार पर होगी। (3) ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है। किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (4) विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई- नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। (5) संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें।

स्थान: जबलपुर, दिनांक: 17.10.2026 **पंजाब नेशनल बैंक, प्राधिकृत अधिकारी**

TRANSGLOBE ADVISORS

Your Trusted Management Advisory

www.transglobeadvisors.in

The Pioneer
BHOPAL | SATURDAY | OCTOBER 17, 2026

Supreme Court stays trial in Twisha Sharma case

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

The Supreme Court on Friday stayed the ongoing trial in the unnatural death case of former model Twisha Sharma before a Bhopal sessions court and issued notices to the CBI, her husband Samarth Singh and mother-in-law Giribala Singh on a plea seeking transfer of the proceedings to a Delhi court.

A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi passed the order on a petition filed by Twisha's father, Navnidhi Sharma, who expressed apprehension that his daughter's case may not receive a fair trial in Madhya Pradesh.

Navnidhi Sharma cited the influence of his daughter's mother-in-law, a retired district judge.

Twisha, 33, was found hanging at her marital home in Bhopal's Katara Hills area on May 12. Her family accused her in-laws of dowry harassment and abetment to suicide. Her in-laws claimed she suffered from drug addiction. Police registered an FIR against her husband and her mother-in-law on charges of dowry harassment.

Senior advocates Siddharth Luthra and Siddharth Aggarwal, along with advocate Abhijeet Sinha, appeared for Navnidhi Sharma. The petitioner sought transfer of the trial to Delhi on grounds that he is settled in the Delhi-NCR region.

The case is pending before a district and additional sessions judge in Bhopal.





As of October 10, the proceedings had reached the stage of arguments on the framing of charges.

The apex court had taken suo motu cognisance of Twisha's death in May this year amid concerns over the fairness of the investigation by the Madhya Pradesh police. The probe was subsequently transferred to the CBI.

On May 25, the CJI-led bench said it was "pained" by the narrative that the judiciary was shielding the accused. It said it would ensure a fair, independent, and impartial CBI probe into the death of the former model-turned-actor.

The initial FIR was registered under Sections 80(2), 85 and 3(5) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), relating to dowry death, cruelty by a husband or his relatives, and common intention, respectively. Sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act, which deal with giving or taking dowry and demanding dowry, were also invoked.

Following investigation, the CBI dropped the dowry-death charge against Giribala Singh and invoked Section 108 of the BNS, which deals with abetment of suicide. According to the prosecution, she allegedly abetted Twisha's suicide by taunting and harassing her.

Giribala Singh was granted anticipatory bail by the Bhopal trial court on May 15.

The Madhya Pradesh Government and Twisha's parents challenged the order before the high court, which quashed her anticipatory bail on May 27.

Order Order

SC issues contempt notice to Raut over remarks on CJI



The Supreme Court on Friday issued show-cause notices to Shiv Sena (UBT) Rajya Sabha MP Sanjay Raut and journalist Nikhil Wagle in criminal contempt proceedings over their public remarks concerning Chief Justice of India (CJI) Surya Kant and the judiciary.

A bench comprising the CJI and Justice Joymalya Bagchi, however, exempted Raut and Wagle from personal appearance on the next date of hearing, saying it would first consider their explanations.

The show-cause notices were issued on a contempt plea filed by the Supreme Court Bar Association (SCBA).

SCBA President and senior advocate Pradeep Rai alleged that the remarks by Raut and Wagle went beyond the bounds of fair criticism and were capable of undermining public confidence in the Supreme Court.

Expressing concern over statements targeting the judiciary, the CJI observed that courts had consistently upheld personal liberty and fundamental rights, making attacks on the institution particularly unfortunate.

The SCBA pressed for the personal appearance of the respondents. The bench, however, decided to issue show-cause notices first.

"We are giving a show-cause as of now. Of course we are granting exemption for personal appearance. Let us see," the bench said. (*PTI*)

SC seeks response from Centre on child social media safety



The Supreme Court on Friday sought replies from the Centre and the National Commission for Protection of Child Rights on a PIL filed by an Indore-based school seeking a comprehensive and enforceable national framework to protect children from the alleged risks associated with social media platforms. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi took note of the plea filed by Emerald Heights International School and its director of academics, Siddharth Singh Girnar, and issued notices to the ministries of women and child development and law and justice, and the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). The bench tagged the plea, filed by Vaibhav Choudhary, with a pending petition and listed it for hearing on December 7. "Issue an appropriate writ, order or direction declaring that the continuing failure of the respondents to provide effective protection to children against foreseeable risks of grooming, sexual exploitation, cyber-bullying, exposure to age-inappropriate and harmful content, behavioural profiling, compulsive-use design and other harms associated with commercial social media platforms is arbitrary, unreasonable and violative of Articles 14, 15(3), 21 and 21A of the Constitution," the plea said.

It called for mandatory age verification, age-appropriate access, verifiable parental consent and stronger safeguards against cyberbullying, sexual exploitation, harmful content and excessive platform use.

The plea also sought a direction to the Centre to frame, notify and operationalise a dedicated, comprehensive and enforceable regulatory framework for the protection of children from harms arising from their access to and use of social media platforms. "Issue a writ of mandamus directing the Centre to prohibit the use of social media platforms by children below such age as may be prescribed, and to regulate the use of such platforms by children above the said age, in such manner as may be found appropriate," the plea said. It also sought a direction to the Centre to "frame and enforce appropriate age-based restrictions on the creation, maintenance and use of accounts by children on designated social-media platforms". The petitioner school referred to instances of underage children operating social media accounts, being contacted by strangers, facing cyber-bullying and harassment, and experiencing sleep deprivation and reduced concentration following prolonged use of mobile phones. The plea also cited concerns raised by parents over children's excessive screen time, anxiety about online popularity, body-image issues, social withdrawal and declining interest in studies and outdoor activities. (*PTI*)

Delhi Police lodges kidnapping case against mother over cross-border child removal to Australia

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

A city court directed criminal FIR in Delhi has brought allegations of forged parental consent in an India–Australia child removal case into focus, raising a public-interest question: how are children protected when the authenticity of documents supporting international travel and visa applications is disputed?

Damanjeet Singh, the child's biological father, has alleged that his two-and-a-half-year-old son was taken from India to Australia without his authorisation.

He alleged that his original Indian passport was stolen and that his signatures were forged on documents submitted in connection with the child's Australian visa application, including Australian Visa Form 1229.

He further alleged that this involved a coordinated conspiracy by an organized syndicate rather than a single individual. The central issue



is whether the consent relied upon was genuine and whether the documents accurately established the legal authority required for the child's visa and relocation. The allegations remain subject to investigation and judicial determination.

According to the case details supplied by the complainant, proceedings were initiated through his counsel, Advocate Monika Verman, under Section 175(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS), which provides for a competent Magistrate to order a police investigation subject to statutory requirements.

Judicial Magistrate First Class Vikas Madaan, JMFC-07, West District, Tis Hazari Courts, New Delhi, reportedly directed Tilak Nagar Police Station to register the case. The complainant states that FIR No. 0393/2026 was subsequently registered against the child's mother under Sections 137(2), 336(3) and 340(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS), concerning punishment for kidnapping, forgery intended for cheating and the fraudulent or dishonest use of a forged document as genuine.

The FIR brings the allegations into the criminal-investigation process. Its registration does not establish guilt, and the applicability of the cited offences—including questions of lawful guardianship, consent and document authenticity—must be determined on the evidence.

Australian Visa Form 1229 is used to record consent to the grant of an Australian visa to a child under 18. Depending on the applicable visa requirements and family circumstances, consent may be required from persons legally entitled to determine where the child lives, unless another lawful basis is established, such as a relevant court order or evidence of sole parental responsibility.

Delhi riots : SC adjourns hearing on Athar's bail plea

PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

The Supreme Court on Friday adjourned for four weeks the hearing on a bail plea filed by Athar Khan in a case under the anti-terror law UAPA concerning the "larger conspiracy" behind the February 2020 riots in northeast Delhi.

A bench of Justices Aravind



Kumar and Vipul M Pancholi deferred the matter after Additional Solicitor General S V Raju informed it that a reply has been filed in the matter. The top court allowed Khan rejoinder to the reply filed by Delhi police.

The apex court had earlier issued a notice to Delhi Police on an appeal filed by Khan challenging a Delhi High Court judgment dated July 7 refusing bail to him.

The high court had dismissed Athar's appeal challenging a trial court's January 29 order that denied him relief in the case, stating that he was but "one of the main conspirators who conspired to cause deaths during the riots" and not a "mere local-level operator".

Athar's lawyer had sought bail on the grounds that he was a "local-level facilitator" who had been in custody for six years, and that similarly placed co-accused had been granted bail by the Supreme Court. The high court bench had considered the Supreme Court's findings on the bail pleas by the co-accused and held that Athar's role was "clearly distinguishable" from those given relief by the apex court. It said the material, including a protected witness statement, showed that while others on a WhatsApp group chat suggested non-violent protests, Athar "persisted with his objective of engaging in violent protests, to the extent of even causing death".

The high court said that since Athar's prima facie role in causing deaths and destruction of private and public property was established, his case did not pass the strict test for bail under Section 43D(5) of the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967.

SC allows PFI chairman Abubacker to undergo treatment at Delhi hospital



PIONEER NEWS SERVICE
New Delhi

The Supreme Court on Friday allowed Popular Front of India's (PFI) founding chairman E Abubacker, arrested in a case under anti-terror law UAPA, to undergo treatment at a Delhi hospital but imposed certain conditions.

A bench of justices MM Sundresh and PB Varale directed him to bear the expenses of treatment at Max Super Speciality Hospital, Saket and said he shall be accompanied by one family member.

"Petitioner shall also pay requisite charges for escort. We make it clear attendant should not carry objectionable items. We request the hospital to file a report on further course of treatment required along with possible period of stay. Cost of hospital shall be borne by the petitioner," the bench said.

Justice Sundresh orally remarked that the court cannot be insensitive towards things and as a judge "you have to mix it with some sympathy".

During the hearing, Additional Solicitor General SV Raju, appearing for the National Investigation Agency (NIA), submitted that Abubacker may be sent to Max hospital for treatment for one week. "Secondly, no devices in hospital. Thirdly, no outsiders can meet him in the hospital. Police will be outside the room at his cost," Raju said.

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, BHOPAL
Water Work Department
Municipal Corporation Rest House, Shyamla Hills, Bhopal Ph.no. 0755-2701669

NOTICE INVITING e-TENDER

Online tenders are being invited for the following work from the appropriated firm that Registered in the office of Madhya Pradesh (Central Registration Cell). The tender documents can be obtained online on the website http://mptenders.gov.in as per the Key Dates in the Notice published on the above website and detailed information can also be seen on website http://mptenders.gov.in. Corrigendum for this NIT shall not be issued separately in news papers. Corrigendum regarding correction can be seen on the website. http://mptenders.gov.in

S. No.	NIT No.	Tender ID	Details of Work	Estimated Cost (INR)	Earnest Money (EMD)	Bid Submission End Date
1	2	3	4	5	6	7
1	First Call	2026_UAD_543855_1	Outsourcing of man power required for operation and maintenance of 50 MLD Manuabhan Tekri Water Treatment Plan comprising Karbala Raw water Pump House, 33Kv Substation at Karbala, 5954 meters Raw Water Pipe line from karbala intake well to Manuabhan Tekri WTP Under, Bhopal	109,51,932.00	1,09,519.00	16.11.2026 05.30 PM

T.N. 902/026/027

Executive Engineer
Water Work Department
Municipal Corporation, Bhopal

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
(CO-SAM), Circle Office: 1227,
Shaleen House, Napier Town, Jabalpur (M.P.)- 482001
E-mail: cojbprec@pnb.co.in, Telephone: 0761-4924461

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-AUCTION SALE NOTICE for Sale of immovable assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8(6) & 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and guarantor(s) that the below described immovable property(ies) mortgaged/charged to the Secured Creditor, the symbolic/physical (whichever is applicable) possession of which has been taken by the Authorised Officer the Punjab National Bank Secured Creditor, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" basis on date as mentioned herein below for recovery of amount due to Punjab National Bank Secured Creditor from below named borrower(s), /mortgagor(s) and guarantor(s). The Reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned below against the respective properties. A short description of the immovable property(ies) with known encumbrances, if any, are mentioned as under.

Date and time of E-auction: 26.11.2026 between 12.00 p.m. to 05.00 pm. (with extension of 10 minute duration after 5.00 pm, if required). Last date of submission of EMD- 26.11.2026 till 12.00 p.m.

THE BIDDER SHALL IMPROVE THE BID OFFER IN MULTIPLE OF RS. 10,000/- (RUPEES TEN THOUSAND ONLY)

Borrower/Mortgagor / Guarantor Name	Description of Immovable Properties / Secured Assets	A)Demand Notice Date B) Possession Date C) Name of Possession D) Amount due to bank (as per demand notice)	A)Reserve Price (Rs.) B) EMD (Rs.) C) Last Date of Deposit of EMD D) Bid Increase Amount
1. Branch: Fawara Chowk, Jabalpur **1. Shri Pawan kumar Mandal S/O Shri Vishnu Mandal (Borrower and Mortgagor)** Address 1: H NO 304/21E, Behind Gohalpur Thana, Chitranjan Ward, Aamkheda Marg, Aamkheda, Tehsil and Distt.-Jabalpur (M.P.),482004 Address 2: Ward no 74,Kudwari ,Maharajpur, Tehsil-Panagar, Distt.- Jabalpur (M.P.) **2. Smt. Radhika Mandal W/o Shri Pawan kumar Mandal (Borrower and Mortgagor)** Address 1: H NO 304/21E, Behind Gohalpur Thana,Chitranjan Ward, Aamkheda Marg, Aamkheda, Tehsil and Distt.-Jabalpur(M.P.),482004 Address 2: Ward no 74, Kudwari, Maharajpur, Tehsil-Panagar, Distt.- Jabalpur(M.P.) A/C 193700NC03484958	**All that part and parcel of immovable Residential Property Situated at- Mauza- Kudwari, S No 503, PH No 26 (Old), 80 (New), Part of Patwari Div. Khasra No. 58/1/1/1/1, Ward No 74 Admeasuring Area-20x33= 660 Sq.Ft., Ward No 74, RNM-Maharajpur, Tehsil- Panagar, Distt- Jabalpur (M.P.), Boundaries**- North- House of Jagannath Sen, South- House of Seller, East- Side Road, West- Houe of Deepak Gupta. Owner & Mortgagor- Shri Pawan kumar Mandal S/O Shri Vishnu Mandal and Smt. Radhika Mandal W/o Shri Pawan kumar Mandal . **Auction Ref No. PUNB1937200724**	**A) 17.02.2025** **B) 16.09.2025** **C) Symbolic** **D) 8,32,547.03/-** + Interest & other Charges	**A) ₹ 17,56,350/-** **B) ₹ 1,75,635/-** **C) 26.11.2026** **D) ₹ 10,000/-**
2. Branch: PNB Betul 008100 (MP) **1. Shri Charanjit Parothi S/O Kaluram Parothi (Borrower & Mortgagor)** **2. Smt Nidhi Parothi w/o Shri Charanjit Parothi (Borrower & Mortgagor)** Both Above at Address: 181G Lohiya Ward, Near Mata Mandir, Ganj Betul, Tehsil & Distt. Betul, BETUL, Madhya Pradesh, Pin 460001 A/c No. 0081009900000188 008100NT00000036	**All that part and parcel of the property Consisting of one Flat No. 302 C, at Third Floor, Block-C (Yashoda Heights), Teh. & Dist. Betul M.P. total Super Built-up Area 59.10sq-m, Builtup area 506sq-ft = 47.02sq-m in the name of Shri Charanjit Parothi & Smt Nidhi Parothi at Humlapur, Arjun Ward No. 2G, Gokuldham (Yashoda Heights), PH No. 53 New 49, B. No. 713, Kh. No. part of 2/1, 2/2, 3. BOUNDARIES AS-** NORTH- Flat No. 301 C, SOUTH- Open Duct (Govinda Heights), EAST- Flat No. 304C, WEST- Garden & Nala. **PROPERTY IDPUNBQQB60673858**	**A) 17.09.2025** **B) 26.11.2025** **C) Symbolic** **D) 1745480.30/-** + Interest & other Charges	**A) ₹ 18,60,000/-** **B) ₹ 1,86,000/-** **C) 26.11.2026** **D) ₹ 10,000/-**
3. Branch: Seoni, Jinna Chowk (MP) **Borrower: 1) M/s Supriya Traders,** having its business address at 148/1 Basti, ChakkiKhamariya, Seoni (M.P.) - 480661. **Proprietor: 2) Shri Deepak Soni S/o Shri Phaggu Soni,** residing at 148/1 Basti, ChakkiKhamariya, Seoni (M.P.) - 480661, Proprietor of M/s Supriya Traders. **3) Guarantor/Mortgagor: Shri Phaggu Soni S/o Shri Kallu Soni,** residing at 148/1 Basti, Chakki Khamariya, Seoni (M.P.) - 480661, standing as Guarantor and Mortgagor for the credit facilities availed by M/s Supriya Traders. A/c No.0490008700003575	**All that piece and parcel of immovable property together with the construction standing thereon, situated at Mouza Chakki Khamariya, PCN No. 01 (ChakkiKhamariya), RIC Suktara, Tehsil Kurai, District Seoni (M.P.) - 480661, bearing Khasra No. 400/5, admeasuring 100 Sq. Mtr. (1076 Sq. Ft.), Bounded By the property of Shri Mohan Soni** on the North, CC Road leading to Sai Mandir on the South, the house of Shri Santosh Soni on the East, and the house of Shri Rajkumar Soni on the West, owned and mortgaged by Shri Phaggu Soni S/o Shri Kallu Soni. **Auction Ref No. PUNB0C00181651**	**A) 07.04.2026** **B) 28.07.2026** **C) Symbolic** **D) 37,13,404.28/-** + Interest & other Charges	**A) ₹ 20,87,000/-** **B) ₹ 2,08,700/-** **C) 26.11.2026** **D) ₹ 10,000/-**

Details of encumbrances known to the secured creditor: Not known

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 AND SARFAESI ACT, 2002

TERMS AND CONDITIONS: (1) The sale shall be subject to the terms and conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further conditions. (2) The properties as being sold on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" AND "AS IS WHATEVER THERE IS"** basis. (3) The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. (4) The sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website- **https://baanknet.com,** on mentioned dates at the given time. (5) For detailed terms and conditions of the sale, please refer to **www.pnbindia.in, https://baanknet.com.**

Date: 17.10.2026, Place: Jabalpur

Authorised Officer, Punjab National Bank